न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	33/2024
दायर दिनांक	:	03.05.2024
निर्णय दिनांक	:	08.10.2024

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. दीपक कुमार पुत्र रमेशचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा
2. विनय पुत्र प्रेमचन्द जाति ब्राह्मण, निवासी दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज॰ काश्तकारी अधिनियम 1955

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज॰ काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 3051 रकबा 0.04 है॰, खसरा नम्बर 3052 रकबा 0.04 है॰, खसरा नम्बर 3053 रकबा 0.75 है॰ भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होकर कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है, जिस पर अप्रार्थीगण को भू–सुधार एवं कृषि प्रयोजन किए जाने की विधि में निहित प्रावधानों के तहत् अधिकार प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त उक्त कृषि भूमि का अन्य उपयोग/उपभोग/परिवर्तन इत्यादि किए जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है जो अप्रार्थीगण द्वारा प्राप्त नहीं की गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि पर व्यावसायिक व आवासीय कॉलोनी संचालित कर भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का स्वरूप बिगाडने व कृषि से भिन्न उपयोग/उपभोग बिना किसी सक्षम स्वीकृति के किया गया है, जो बेदखल योग्य होकर वर्णित भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खातेदारी अधिकार विलोपित कर राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक शर्मा द्वारा पावर पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है। प्रश्नगत आराजी को अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु नगरपरिषद् दौसा के समक्ष भूमि का उपयोग परिवर्तन करने बाबत आवेदन पूर्व में ही किया जा चुका है किन्तु मौके पर रास्ते की समस्या होने और न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी को स्टे किये जाने के कारण नगरपरिषद् दौसा द्वारा भूमि उपयोग परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकी है। इस प्रकार तहसीलदार दौसा को कोई हक अधिकार नहीं है कि वह अप्रार्थी संख्या 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand
Date: 2025.10.08 13:50:14 IST
Reason: SelfAttested

की खातेदारी भूमि से खातेदारों को बेदखल करवाये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए प्रश्नगत आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल कर भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित करने का निवेदन किया। बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी का उपयोग परिवर्तन करने का आवेदन सक्षम कार्यालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार दौसा को कोई हक अधिकारी नहीं है कि वह प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों को उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल करवाकर भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित करवाये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं प्रश्नगत आराजी से स्थगन आदेश भी समाप्त किया जावे ताकि सक्षम कार्यालय द्वारा भूमि का उपयोग परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जा सके।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत आराजी के खातेदारों अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रश्नगत आराजी को बिना सक्षम कार्यालय की अनुमति के कृषि से भिन्न उपयोग में लेने के कारण प्रार्थी/तहसीलदार दौसा ने खातेदारों को प्रश्नगत आराजी से बेदखल करने एवं प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित करने का अनुतोष चाहा है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कथन है कि प्रश्नगत आराजी को अकृषि उपयोग में लेने हेतु नगरपरिषद् दौसा के समक्ष भूमि का उपयोग परिवर्तन करने का आवेदन पूर्व में ही किया जा चुका है जो कि मौके पर रास्ते की समस्या होने एवं न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आराजी को स्टे किये जाने के कारण सक्षम कार्यालय नगरपरिषद् दौसा के समक्ष प्रक्रियाधीन है। अपने कथनों के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नगरपरिषद् दौसा के समक्ष किये गये आवेदन पत्र एवं राजकोष में जमा करवायी गयी प्रीमियम राशि की रसीद की प्रति प्रस्तुत की है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रश्नगत आराजी का उपयोग परिवर्तन का आवेदन पूर्व में ही सक्षम कार्यालय के समक्ष किया जा चुका है, जो कि वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। ऐसी स्थिति में जब प्रश्नगत आराजी का उपयोग परिवर्तन का आवेदन सक्षम कार्यालय के समक्ष प्रक्रियाधीन है तो प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रश्नगत आराजी से बेदखल कर प्रश्नगत आराजी को राजकीय सिवायचक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायहित में प्रश्नगत आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को सक्षम कार्यालय से प्रश्नगत आराजी के उपभोग परिवर्तन की अनुमति लिये जाने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगनादेश भी खारिज किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को निर्देशित किया जाता है कि 12 माह की अवधि के भीतर सक्षम कार्यालय से प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 3051, 3052 व 3053 वाके ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा के उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्राप्त की जावे, अन्यथा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त तहसीलदार दौसा पुनः समान धारान्तर्गत प्रकरण बनाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र होगा। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार दौसा को भिजवायी जावे। [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 18:50:14 IST
Reason: SelfAttested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
दौसा (राज०)